


II/मिगा०/सिंगरौली/श्रृंगा०/2017/4767 (25)

माननीय राजस्व मण्डल मो प्र० रघुविलय सर्किट कोर्ट रीवा मध्यप्रदेश

Rs 30/-



गिरावटाद साहू पिता शशी लाल साहू उम्र 56 कर्म पेशा नौकरी निवासी  
ग्राम जेतुर तहसील वाँजला सिंगरौली मोप्र० ===== निगरानी कर्ता  
बनाम

आधिकारी अधिकारी अधिकारी  
उम्र 39 // 17

- 1- प्रवीष कुमार पिता भगवानदास शाह
- 2- रत्नराज शाह पिता भगवानदास शाह
- 3- रामेश कुमार शाह पिता भगवानदास शाह
- 4- नन्दकिशोर पिता भगवानदास शाह
- 5- सुन्दीप कुमार पिता भगवानदास शाह
- 6- दल्लू प्रसाद पिता शि वलाल शाह
- 7- गोपलदास पिता शिवलाल शाह सभी निवासी ग्राम घौरा
- 8- किशोरकुमार पिता देवशरन शाह सा० रैला
- 9- नारायण दास पिता देवशरन शाह सा० रैला
- 10- छिकाय शाह पिता सरब्रज शाह
- 11- बालभीक शाह पिता कुन्जलाल शाह दोनों निवासी ग्राम घौरा
- 12- अशीक कुमार शाह पिता कुन्जलाल शाह
- 13- रमाकान्त शाह पिता जीतलाल शाह दोनों निवासी ग्राम घौरा  
ता० माइा जिला सिंगरौली मोप्र० ===== गैरनिगरानी कर्तार्गम

निगरानी बिल्द आदेश न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी  
ता० माइा जिला सिंगरौली मोप्र० के प्रकरण क्रमांक  
03/आईसीसमस्त/अमील/15-16 आदेश दिनांक

30-10-2017.

निगरानी अन्तिम धारा 50 मोप्र० भू० रा० ता०  
=====

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

जिला—सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक ॥/निरा/2017/4767

शिवप्रसाद साहू प्रवीण कुमार शाह

(1)

(2)

(3)

S-४-१९

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सिंह उपस्थित।  
आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील  
माड़ा के प्रकरण क्रमांक 03/आरसीएमएस/अप्रील/2015-16 में  
पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।  
म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन  
के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित  
संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा  
पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः  
यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष  
प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला  
सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।

म  
(महेशचन्द्र चौधरी),  
सदस्य